न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–202/2013 (2013/00066)223/ब्यावर

1. श्रीमती शान्ति पत्नी स्व. श्री हनुमान जाति माली आयु 62 साल निवासी छावनी फाटक के पास, कैलाश कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति माली निवासी 420 खारियां कुंआ, मालियो की बस्ती, ग्राम नून्दी मेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती श्यामा पुत्री स्व. श्री देवीलाल पत्नि श्री मदनलाल जाति माली निवासी 464 आदर्श नगर, अजमेर रोड ब्यावर जिला अजमेर।
3. श्री करणसिंह पुत्र स्व. श्री चांदमल
4. श्री महीप पुत्र स्व.श्री चांदमल
5. श्रीमती स्वाति पुत्री स्व. चांदमल एवं पत्नि श्री संदीप
6. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि स्व. श्री चांदमल
   कंमांक 03 से 06 जाति माली निवासी 3/22 पुराने सदर थाने के पीछे, छावनी तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
7. श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री गणपतलाल जाति माली निवासी सूरजपोल गेट के बाहर, ब्यावर जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर ।
9. उप पंजीयन,ब्यावर तहसील परिसर ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2013, वाद संख्या 86/2012 विरूद्ध उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर।

उपस्थितः–

1. श्री ज्ञानचन्द गारिया एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री चन्द्रदेव सांखला एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 की ओर से।
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08 व 09 की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 07 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2019

01. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2013, वाद संख्या 86/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 502 रकबा 00–05–00 वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है व इसी आराजी के अडते हुऐ प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 501 रकबा 1–15–0 भूमि स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण ने भूखण्ड काट कर कॉलोनी की स्थापना कर दी व प्रतिवादीगण ने गलत व गैरकानूनी रूप से वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 502 रकबा 0–5–0 पर भी भूखण्ड संख्या 1, 11 व 12 काटने व कब्जा करने पर आमादा होने के साथ साथ अपनी आराजी खसरा संख्या 501 की भूमि होना बताते हुऐ गलत व गैरकानूनी रूप से बेचान करने जा रहे थे जिस बाबत वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त आराजी की सुरक्षा करने व प्रतिवादीगण द्वारा गैरकानूनी कृत्य को रोकने के लिए वाद व आवेदन पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सुने व बिना साक्ष्य का कोई अवसर दिये सरसरी तौर पर ही खारिज कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय मे मूल वाद प्रोसिडिग्स दिनांक 26–11–2012 को कायमी तनकियात हेतु मुर्रर किया गया, दिनांक 24–12–2012 को अधिकारी दीगर कार्य मे व्यस्त होने के कारण तनकियात कायम नही की जा सकी व दिनांक 05–03–2013 को ही न्यायालय ने तनकियात की रचना की जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु मुकर्रर होना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य वाद नम्बर 14 / 2012 अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का हवाला देते हुऐ वाद को खारिज कर दिया जिससे साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने न्यायिक प्रकिया व विवेक का उपयोग ही नही किया है। तनकियात कायम किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय को वादिया व प्रतिवादीगण व उसके गवाहान की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात दोनो पक्षो की बहस सुने जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना लाजमी था। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 0–5–0 बीघा वाकै ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान तहसील ब्यावर वादीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है । जिसके अड़ते हुए प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 01–15–00 बीघा स्थित हैं । जिस पर प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्टस द्वारा नई कॉलोनी बाली नगर द्वितीय के नाम से विकसित की है। व प्रतिवादीगण ने गलत व गैर कानूनी रूप से वादीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 0–5–00 बीघा पर भी भूखण्ड काटने व कब्जा करने तथा बेचान करने पर आमादा है। जिस पर वादीया द्वारा आपत्ति करने पर प्रतिवादीगण द्वारा झगड़ा फसाद किया जाने लगा । वहॉ मजबूरन वादीया के देवर सुखदेव द्वारा मान्नीय न्यायालय ACJM ,ब्यावर के यहॉ एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत द्वारा 420, 467, 468, 471, 120 (B) आई.पी.सी. दर्ज करवाया गया, जो विचाराधीन हैं तत्पश्चात वादिया द्वारा झगड़े फसाद को खत्म करने एवं शांतिपूर्वक अपनी आराजीयात का उपयोग, उभोग करने के लिए उक्त वर्णित आराजीयात पर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई प्रार्थीया के हक में दिनांक 04.01.2012 को निर्णित कर दिया लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त आदेश की अपील मान्नीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहॉ प्रस्तुत कर दी जिसका निस्तारण दिनांक 02.12.2013 को निस्तारण कर दिया था जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट ने मा्ननीय राजस्व मण्डल राज,अजमेर में की है। जिसका निस्तारण मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ने दिनांक 16.08.2018 को अपीलांट के पक्ष में कर दिया हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम को खारिज कर दिया गया और उसी निर्णय के आधार बनाकर वादिया का वाद भी खारिज कर दिया गया, जो कतई वैधानिक नहीं हैं। यहॉ यह गौरतलब है कि धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही होती है लेकिन राजस्व वाद पूर्ण कार्यवाही है जिसमें न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर उनका निर्णय किया जाता हैं ऐसी स्थिति में केवल मात्र संक्षिप्त कार्यवाही में हुए निर्णय की आड़ में राजस्व वाद का निर्णय नही किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम को दिनांक 01.04.2013 को खारिज कर दिया है तथा विवादित साबिक खसरा नम्बर 298 जिसके हाल खसरा नम्बर 502 रकबा 00–05–00 बीघा भूमि रेकार्ड अनुसार कभी भी सिवायचक भूमि नही

रही तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर में निर्णित वाद संख्या 26/1998 के निर्णय दिनांक 14.02.1983 केअनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में खसरा नम्बर 298 रकबा 00–05–00 बीघा रास्ता को भी बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति माली साकिन छावनी प्रेड, ब्यावर के बजाय श्रीमती झमकू पत्नी स्व.हॉसू जाति माली निवासी नून्द्री मेन्द्रातान के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये थे जो सही हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों से वादिया का वाद बखूबी साबित था क्योंकि वादिया श्रीमती झमकू देवी की उत्तराधिकारी होकर वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की अधिकारी हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर वादिया का वाद खारिज कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को खारिज कर दिया तथा उसके पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को भी अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं। इस प्रकार प्रथमदृष्टया वादीया का वाद बखूबी साबित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.04.2013 निरस्त किया जाकर वादिया का वाद विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये जानें के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि वादिया के वाद पत्र में वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार सार्वजनिक रास्ता है और मौके पर डामर सड़क निर्मित है जिस पर वादी का अकेली का कोई भी हक अधिकार नहीं है उक्त भूमि पर बनी डामर सड़क पर होकर प्रतिवादीगण व अन्य आम नागरिक/ग्राम वासियान अपने अपने मकान/खेतो में आते जाते है उक्त खसरा नम्बर 502 जो आम रास्ता डामर सड़क हैं उसकी दोनो दिशाओं में खसरा नम्बर 501 व 503 पर गैर कृषि आवासीय कॉलोनी विकसीत हैं। खसरा नम्बर 501 प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि हैं। खसरा नम्बर 502 कभी वादिया के हक व अधिकार/कब्जे में नही थी क्योंकि मौके पर शुरू से ही राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही थी और मौके पर मौजूद रास्ते पर प्रतिवादीगण व अन्य ग्राम वासियान उसका उपयोग व उपभोग कर रहे थे इसे गलत रूप से बिना किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री या बिना आवंटन के वादीया के ससुर ने गलत रूप से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में कर्मचारी से मिलीभगत कर लिखा ली। उक्त राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज वादिया के नाम से है वो कत्तई गलत अवैध व नाजायज होने से प्रभावशून्य है। वादिया का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के तहत् निरस्तनीय था । विवादित आराजी की किस्म रास्ता है जो आम जन के आने–जाने के उपयोग व उपभोग बाबत् होता है जो किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति नही हो सकती है। इस कारण कानूनन उक्त रास्ते की भूमि बाबत् कोई भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती हैं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड अनुसार अपने नाम दर्ज है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात पर गैरकानूनी रूप से प्रवेश कर कब्जा काश्त करने पर आमादा होने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम को खारिज कर दिया गया और उसी निर्णय को आधार बनाकर वादिया का वाद भी खारिज किया हैं। धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही एक संक्षिप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कार्यवाही होती है तथा राजस्व वाद पूर्ण कार्यवाही है जिसमें न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर उनका निर्णय किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के साथ राजस्व वाद का निर्णय कर दिया जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आधार पर वादीगण का वाद निरस्त किया है उस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, तनकीयात का विस्तृत निर्णय करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद खारिज करने का कोई ठोस कारण अपने निर्णय अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.04.2013 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 01.04.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को जवाब, साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर